बिक्री सूचना

कॉम्पैक्ट लैम्प्स प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में)

परिसमापक:श्रीमती दीपिका भुगरा प्रसाद

परिसमापक का आईबीबीआई पंजीकृत पता: # 202, सम्राट अशोक एन्क्लेव, सेक्टर–18ए, प्लॉट नंबर 6, द्वारका, नई दिल्ली, एनसीटी ऑफ दिल्ली–110075,

परिसमापक का कार्यालय संचार पता: प्रथम तल, # 64, ओखला फेज–III, मोदी फ्लोर मिल्स के पीछे, नई दिल्ली– 110020

ईमेल आईडी: assetsale1@aaainsolvency.in] deepika.bhugra@gmail.com और compact.lamps@aaainsolvency.com

मोबाइल: 8800865284 (श्री वसीम एवं श्री राज कुमार)

दिवालिया एवं दिवालियापन संहिता, 2016 के अंतर्गत परिसंपत्तियों की ई–नीलामी–बिक्री

ई–नीलामी की तिथि एवं समय: 03 जनवरी 2025 को अपराह्न 3.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक।

(प्रत्येक के लिए 5 मिनट का असीमित विस्तार)

ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि: 01 जनवरी 2025 को शाम 5.00 बजे तक

संभावित बोलीदाताओं द्वारा दस्तावेज जमा करना: 12 से 25 दिसंबर 2024 तक

कॉम्पैक्ट लैंप्स प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में) के स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों और संपत्तियों की बिक्री, जो माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, बेंच– II, नई दिल्ली द्वारा 31 अक्टूबर, 2019 के आदेश के तहत नियुक्त परिसमापक द्वारा गठित परिसमापन एस्टेट का हिस्सा है (इसकी एक प्रति परिसमापक को 24.12.2019 को प्राप्त हुई)। बिक्री नीचे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा ई–नीलामी प्लेटफॉर्म नेशनल ई–गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के माध्यम से की जाएगी, जिसका लिंक इस प्रकार है: https://nbid.nesl.co.in/app/login

संपत्ति का विवरण	ब्लॉक	आरक्षित मूल्य (रु.)	आरंभिक ईएमडी राशि (रु.)	वृद्धिशील मूल्य (रु.)
भिवंडी, महाराष्ट्र–421308 स्थित मेसर्स पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड की साइट पर पड़े दोषपूर्ण एलईडी बल्बों से युक्त स्क्रैप।	ए	16.13 लाख	1.6 लाख	10 हजार

महत्वपूर्ण टिप्पणी :

बिक्री से संबंधित सभी नियम और शर्तें बिक्री नोटिस और ई–नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज से अनिवार्य रूप से संदर्भित की जानी चाहिए, साथ ही एएए इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एलएलपी की वेबसाइट पर अपलोड की गई है जिसका लिंक हैरू https://insolvencyandbankruptcy.in/public. announcement/compact-lamps-private-limited/ और एनईएसएल की वेबसाइट पर भी अपलोड की गई है जिसका लिंक https://nesl.co.in/auction-notices-under-ibc/ है। ईएमडी जमा करने और ई–नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने से पहले परिसमापक से compact.lamps@aaainsolvency.com और deepika.bhugra@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है।

इसके अलावा, हम संभावित बोलीदाताओं को सूचित करना चाहते हैं कि दस्तावेजों की सभी हार्ड कॉपी केवल परिसमापक के कार्यालय संचार पते, प्रथम तल, # 64, ओखला फेज–III, मोदी फ्लोर मिल्स के पीछे, नई दिल्ली, 110020 पर भेजी जानी आवश्यक है।

हस्ता./–

दीपिका भुगरा प्रसाद

कॉम्पैक्ट लैंप्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में परिसमापक

आईबीबीआई (पंजीकरण संख्या – आईबीबीआई/आईपीए–003/आईपी–एन000110/2017–2018/11186)

संचार का पता: प्रथम तल, 64, ओखला फेज– III, नई दिल्ली–110020

दिनांक: 12.12.2024 **ईमेल आईडी:** deepika.bhugra@gmail.com, और assetsale1@aaainsolvency.in

स्थान: नई दिल्ली **संपर्क व्यक्ति:** श्री वसीम और श्री राज कुमार, +91–8800865284

कॉटिनेंटल सिक्योरिटिज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: फ्लैट नं. 301, मेट्रो प्लाजा, परिवहन मार्ग, जयपुर-302001 (राजस्थान)

CIN : L67120RJ1990PLC005371, फोन : 0141-2943037

ई: मेल: continentalsecuritieslimited@gmail.com, वेबसाईट : www.continentalsecuritiesltd.com

असाधारण आम बैठक की सूचना एवं ई-वोटिंग की सूचना

1. एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटीज लिमिटेड (कंपनी) के सदस्यों की असाधारण आम बैठक (ईजीएम) मंगलवार 07 जनवरी 2025 को दोपहर 2 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) की सुविधा के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें ईजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय को पूरा करने के लिए सदस्यों की एक सामान्य स्थान पर भौतिक उपस्थिति के बिना बैठक आयोजित की जाएगी। कंपनी के सदस्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी ने ईजीएम की सूचना भेजने का काम पूरा कर लिया है।
2. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित सेबी (एलओडीआर) 2018 के विनियम 44 के नियमों और आईसीएसआई द्वारा जारी सामान्य बैठक पर सचिवीय मानकों के अनुपालन में, कंपनी ने सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) को अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए नियुक्त किया है। जो सदस्यों (कट-ऑफ तिथि पर पंजीकृत) को सूचना में निर्धारित सभी व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना वोट डालने के लिए रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करता है। कंपनी अधिनियम 2013 और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार विवरण यहां नीचे दिए गए हैं:
   ए) कोरियर और ईमेल द्वारा नोटिस भेजने की समाप्ति की तिथि: 12.12.2024
   बी) ई-वोटिंग की कट-ऑफ तिथि: मंगलवार, 31 दिसम्बर, 2024
   सी) रिमोट ई-वोटिंग अवधि: यह अवधि शनिवार 04 जनवरी, 2025 को सुबह 10:00 बजे से शुरू होगी और सोमवार 06 जनवरी, 2025 को शाम 05:00 बजे समाप्त होगी। इसके बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी और इसे सीडीएसएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा
   डी) रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया वाली ईजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट https://continentalsecuritiesltd.com और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर उपलब्ध है। ईजीएम के नोटिस की भौतिक प्रतियां अनुरोध पर भेजी जाएंगी और कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में निरीक्षण के लिए शनिवार और रविवार को छोड़कर सुबह 11:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक उपलब्ध रहेंगी।
3. कंपनी ने अजय खंडेलवाल एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स जयपुर को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग प्रक्रिया की जांच करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।
4. कोई भी व्यक्ति जिसने कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण किया है और नोटिस भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन गया है और कट-ऑफ तारीख यानी 31 दिसम्बर, 2024 को शेयर धारण करता है, ऐसे शेयरधारक helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति ई-वोटिंग के लिए पहले से ही सीडीएसएल के साथ पंजीकृत है तो वह वोट डालने के लिए मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग किया जा सकता है।
5. जिन शेयरधारकों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, उन्हें ईजीएम के स्थान पर पोलिंग पेपर द्वारा वोटिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी। सदस्य रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट देने के अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी ईजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन दोबारा वोट देने के हकदार नहीं होंगे
6. ई-वोटिंग के संबंध में किसी भी प्रश्न/शिकायत के लिए सदस्य श्री राकेश दलवी, सीनियर मैनेजर (सीडीएसएल) सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए-विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरेक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एनएम जोशी मार्ग, लोअर परेल (ईस्ट), मुंबई- 400013 पर संपर्क कर सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल भेजें या टोल फ्री नं. 1800225533 पर सम्पर्क करें।

कृते कॉटिनेंटल सिक्योरिटिज लिमिटेड

हस्ता./-

तारीख: 11.12.2024

स्थान: जयपुर

प्रविता खण्डेलवाल (कंपनी सचिव एवं मुख्य अनुपालन अधिकारी)

एनएचपीसी लिमिटेड

(भारत सरकार का एक नवरत्न उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय: एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सैक्टर–33, फरीदाबाद, हरियाणा–121003
सीआईएन: L40101HR1975GOI032564
ईपीएबीएक्स सं. 0129–2588110/2588500
वेबसाइट : www.nhpcindia.com ई-मेल: investorcell@nhpc.nic.in

सूचना

(कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के ध्यानार्थ)

कम्पनी के इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरण

निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियमावली, 2016 ("आईईपीएफ नियमावली"), यथा संशोधित के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 124 के प्रावधानों के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि जिन शेयरों के संबंध में लगातार सात या उससे अधिक वर्षों से लाभांश की अदायगी नहीं की गई है या शेयर धारकों द्वारा दावा नहीं किया गया है, उन शेयरों को कंपनी द्वारा आईईपीएफ प्राधिकरण में अंतरित कर दिया जाएगा।

आईईपीएफ नियमों में यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुपालन में कंपनी ने दिनांक 04.12.2024 के अपने पत्र के माध्यम से उन संबंधित शेयरधारकों को, जिनके शेयर 14 मार्च, 2025 के बाद आईईपीएफ में अंतरण के लिए देय हैं, उन्हें उनके नवीनतम उपलब्ध पते पर व्यक्तिगत रूप से सूचित किया है कि वे यथाशीघ्र परंतु दिनांक 14 मार्च, 2025 के बाद नहीं, अपने अदावाकृत /अप्रदत्त लाभांशों के लिए दावा प्रस्तुत करें। ऐसे शेयरधारकों के सुसंगत विवरण कंपनी की वेबसाइट www.nhpcindia.com → इन्वेस्टर कॉर्नर → आईईपीएफ विवरण पर अपलोड किए गए हैं। कंपनी द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए गए विवरण को ही शेयरों का आईईपीएफ में अंतरण के संबंध में पर्याप्त सूचना मानी जाएगी। यह भी सूचित किया जाता है कि आईईपीएफ नियमों के प्रावधानों के अनुपालन में ऐसे शेयरों पर मिलने वाले सभी लाभ अर्थात् लाभांश, बोनस शेयर आदि को भी आईईपीएफ में अंतरित कर दिया जाएगा।

अक्टूबर, 2024 तक जिन शेयरों के संदर्भ में, लगातार सात वर्षों तक लाभांश अदावाकृत या अप्रदत्त रहा है, उन्हें आईईपीएफ प्राधिकरण में पहले ही अंतरित किया जा चुका है। अंतरिम लाभांश 2017–18 के लिए शेयर और लाभांश जो अप्रदत्त/अदावाकृत हैं, उनको दिनांक 14 मार्च, 2025 के बाद आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित किया जाना हैं। ऐसे शेयरधारकों का विवरण कंपनी की वेबसाइट www.nhpcindia.com पर उपलब्ध हैं।

शेयरधारक, अप्रदत्त/अदावाकृत अंतरिम लाभांश का दावा प्रस्तुत करने के लिए पैनकार्ड की स्व–प्रमाणित प्रति, पते का प्रमाण और अद्यतन क्लाइंट मास्टर लिस्ट सहित अपना खाता संख्या या फोलियों नम्बर का उल्लेख करते हुए रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए)/या कंपनी को तत्काल परंतु 14 मार्च, 2025 के बाद नहीं, एक औपचारिक पत्र भेज सकते हैं ,ताकि उनके लाभांश/शेयरों को कंपनी द्वारा आईईपीएफ खाते में अंतरित न किया जाए। यदि कंपनी/आरटीए को 14 मार्च, 2025 या ऐसी अन्य तारीख, जो आगे बढ़ाई जा सकती है, तक संबंधित शेयरधारकों से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो कंपनी आईईपीएफ नियमों में निर्धारित अपेक्षाओं का अनुपालन करने के उद्देश्य से,अन्य कोई सूचना दिए गए बिना शेयरों को आईईपीएफ में अंतरित करने की कार्रवाई आरंभ कर देगी।

संबंधित शेयरधारक जिनके पास भौतिक रूप में शेयर हैं और जिनके शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित किए जाने हैं, वो कृपया ध्यान दें कि इन शेयरों के डीमेटेरियलाइजेशन तथा इन्हें आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित किए जाने के उद्देश्य से कंपनी उनके द्वारा धारित मूल शेयर प्रमाणपत्र (त्रों) के बदले में नया प्रमाणपत्र जारी करेगी। इसके साथ ही नियमानुसार इस प्रकार के जारी शेयरधारकों के नाम पर पंजीकृत मूल प्रमाणपत्र स्वतः रद्द हो जाएंगे और यह बिक्री योग्य नहीं रह जाएंगे।

शेयरधारक www.iepf.gov.in पर उपलब्ध निर्धारित आईईपीएफ नियमों के अनुसार आईईपीएफ में अंतरित किए गए शेयरों/लाभांश का दावा कर सकते हैं। उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसरण में आईईपीएफ में अंतरित की गई अदावाकृत राशि और शेयरों के संबंध में कंपनी के विरूद्ध कोई दावा नहीं रह जाएगा।

कंपनी/आरटीए का संपर्क विवरण निम्नानुसार हैः

एनएचपीसी लिमिटेड	मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड,
एनएचपीसी कार्यालय परिसर,	सेलेनियम बिल्डिंग, टॉवर बी, प्लॉट नंबर 31–32,
सैक्टर-33, फरीदाबाद, हरियाणा.121003	फाइनेंसियल डिस्ट्रिक्ट, नानाकरमगुडा,
टेलीफोनः 0129-2250437	सेरिलिंगमपल्ली,
ईपीएबीएक्स नंबरः0129-2588110/2588500	हैदराबाद रंगारेड्डी, तेलंगाना–500 032
ईमेलः investorcell@nhpc.nic.in	ईमेलः einward.ris@kfintech.com
वेबसाइटः www.nhpcindia.com	टेलीफोनः 040-67162222/040-79611000
	वेबसाइटः www.kfintech.com
	टोल फ्री नंबर 18003094001

टिप्पणी : जिन सदस्यों ने अभी तक अपना केवाईसी अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे केवाईसी–पैन (आधार से लिंक), पिन कोड के साथ अपना पता, बैंक विवरण, नामांकन, मोबाइल और ईमेल आईडी को डीपी (इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग के मामले में) / आरटीए (भौतिक होल्डिंग के मामले में) से संपर्क करके अपडेट करवा लें।

एनएचपीसी लिमिटेड के लिए और उसकी ओर से

हस्ता./-

दिनांकः 11 दिसंबर, 2024 (रूपा देब)

स्थान : फरीदाबाद कम्पनी सचिव

कब्जा सूचना

जैसा कि, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में **जना स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड** (पूर्व का जनलक्ष्मी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड) के अधिकृत प्राधिकारी ने भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक हुए प्रयोज्य दर भावी ब्याज, आकस्मिक व्ययों, लागतों, प्रभारों आदि सहित कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सम्बन्धित नाम के सम्मुख उल्लिखित राशि तथा उस पर कथित सूचना में उल्लिखित दर पर प्रयोज्य ब्याज एवं भुगतान तथा/अथवा वसूली तक आकस्मिक व्यय, लागतों, प्रभारों आदि का भुगतान करने को कहते हुए कर्जदार(रें)/सह-कर्जदार(रें) को मांग सूचना जारी की थी।

क्र. सं.	ऋण सं.	कर्जदार/सह-कर्जदार/जमानती/बंधककर्ता	13(2) की सूचना तिथि/तिथि तक बकाया राशि (रु. में)	कब्जे की तिथि/समय तथा प्रकार
1.	0418240000317 तथा 30419410000647	1. **अरुण कुमार** (आवेदक) 2. **श्रीमती गजना** (सह–आवेदक) 3. **श्री समय सिंह** (सह–आवेदक) 4. **श्री पदम सिंह** (सह–आवेदक)	26–09–2024 रु. 6,12,686 (रुपये छः लाख बारह हजार छः सौ छियासी मात्र) तिथि 23.09.2024 तक	तिथिः 10.12.2024 समयः 11:23 बजे पूर्वा. सांकेतिक कब्जा

प्रतिभूत संपत्ति का विवरणः सम्पत्ति विवरणः सम्पत्ति माप 90 वर्ग गज, खेवट सं. 530/666 में से, म्यू. नं. 50, किला नं. 5/2(3–12), 6/1(2–11), वाका मौजा असावती, तहसील एवं जिला पलवल, स्वामित्व श्रीमती गजना पत्नी श्री राकेश कुमार, श्री समय सिंह एवं श्री पदम सिंह पुत्र बदले राम

जैसा कि यहां ऊपर उल्लिखित कर्जदार/सह-कर्जदार/जमानती/बंधककर्ता बकाया राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल रहे, एतद्वारा विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित कर्जदार तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि **जना स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड** के अधिकृत प्राधिकारी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में यहां ऊपर उल्लिखित सम्पत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों पर कब्जा कर लिया है। जैसा कि यहां ऊपर उल्लिखित कर्जदार/सह-कर्जदार/जमानती/बंधककर्ता को विशेष रूप से तथा जनसामान्य को एतद्वारा उपर्युक्त सम्पत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों से कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और उपर्युक्त सम्पत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों के साथ कोई संव्यवहार **जना स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड** के प्रभार के अध्यधीन होगा।

स्थान : दिल्ली रा.रा.क्षे.	**ह./- अधिकृत प्राधिकारी**
तिथि : 12.12.2024	**जना स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड**

जना स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

(एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक)

पंजीकृत कार्यालयः द फेयरवे, भूतल एवं प्रथम तल, सर्वे नंबर 10/1, 11/2 और 12/2बी, ऑफ डोम्लूर, कोरमंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के बगल में, चल्लाघट्टा, बैंगलोर–560071। **शाखा कार्यालयः** 16/12, दूसरी मंजिल, डब्ल्यू.ई.ए. आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110005

कब्ज़ा-सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (पूर्व में जनलक्ष्मी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के रूप में विदित) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, ऋणकर्ता(ओं)/सह–ऋणकर्ता(ओं) को मांग सूचनायें निर्गत की थीं, जिनमें ऋणकर्ताओं को उक्त सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनो के अंदर उक्त सूचनाओं में निम्न तालिका में वर्णित संबंधित नामों के समक्ष अंकितानुसार राशि का राशि पर प्रयोज्य दरों पर आकलित ब्याज और भुगतान तथा/अथवा वसूलीकरण की तिथि तक उपगत प्रयोज्यानुसार भावी ब्याज, आकस्मिक व्ययों, लागतों, शुल्कों, इत्यादि का प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

क्र. सं.	ऋण संख्या	ऋणकर्ता/सह–ऋणकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता	13(2)नोटिस दिनांक/निम्न के अनुसार बकाया देय (रु. में)	दिनांक/समय एवं कब्ज़ा का प्रकार
1	32039420000011 एवं 32039410000172	1) श्री पवन कुमार (आवेदक), 2) श्रीमती पूनम रानी (सह–आवेदक)	दिनांक : 12.09.2024 दिनांक 10.09.2024 तक रु.10,42,073/– (रुपये दस लाख बयालीस हजार और तिहत्तर मात्र)	दिनांक 11.12.2024 समय– पुर्वा. 09:05 बजे, प्रतीकात्मक कब्ज़ा
	प्रतिभूति संपत्ति का विवरणः गाँव धुराला, तहसील थानेसर, जिला कुरुक्षेत्र में स्थित प्लॉट नंबर 81 पर निर्मित एक मकान , माप 100 वर्ग गज, खेवट नंबर 126 मिन/117, खतौनी नंबर 183 मिन, मुरब्बा नंबर 91, खसरा नंबर 10 मिन (5–16), 11 मिन (7–18), मुरब्बा नंबर 92 खसरा नंबर 4(8–0), 7(8–0), 14(8–0), किते 5, मालिक श्रीमती पूनम रानी, घ्ध्पत्नी श्री पवन कुमार। सीमाः पूर्वः गली 22 फीट चौड़ी, पश्चिमः प्लॉट नंबर 92, उत्तरः प्लॉट नंबर 80, दक्षिणःप्लॉट नंबर 82,			
2	46089610000017	1) श्री मुकेश कुमार(आवेदक), 2)श्रीमती राकेश कुमार (सह–आवेदक), 3)श्रीमती निशा रानी (सह–आवेदक)	**दिनांक : 12.09.2024 दिनांक 10.09.2024 तक रु.7,28,615/–(रुपये सात लाख अठ्ठाइस हजार छह सौ पंद्रह मात्र)**	दिनांक 11.12. 2024 समय– पुर्वा. 08:30 बजे, प्रतीकात्मक कब्ज़ा
	प्रतिभूति संपत्ति का विवरणः संपत्ति का विवरणः नगरपालिका संपत्ति का 2/3 हिस्सा आईडी नंबर एचटीएमसीडब्ल्यू–1002371, वाका दर्राखुर्द, मोहन नगर, तहसील थानेसर, जिला कुरुक्षेत्र, कुल क्षेत्रफल 132 वर्ग गज, खेवट नंबर 401/385, खतौनी नंबर 527, मुरब्बा नंबर 39 खसरा नंबर 23/1(4–10), मुरब्बा नंबर 55, खसरा नंबर 2/2/2(0–13), 3/1/1(4–7) किता 3, मालिक श्री मुकेश कुमार, पुत्र श्री राम कुमार। सीमाः पूर्वः 20 फीट चौड़ी गली, पश्चिमः यशपाल का प्लॉट, उत्तरः संपत्ति का शेष 1/3 हिस्सा, मालिक श्रीमती तारो देवी, दक्षिणः अन्य।		

चूंकि यहां इसमें उपरोक्त वर्णित ऋणकर्ता(ओं)/सह–ऋणकर्ता(ओं)/गारंटरों/बंधककर्तागणों निर्धारित देयराशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा यहां इसमें उपरोक्त वर्णित ऋणकर्ताओं को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को सामान्य रूप में सूचित किया जाता है कि जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने यहां इसमें उपरोक्त विवरणित संपत्तियों/प्रतिभूत परिसंपत्तियों का, उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त षक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, उपरांकित तिथियों पर कब्ज़ा कर लिया है। यहां इसमें उपरोक्त वर्णित ऋणकर्ताओं/सह–ऋणकर्ताओं/गारंटरों/बंधककर्ताओं को विषेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि उपर्युक्त संपत्तियों/प्रतिभूत परिसंपत्तियों का लेन–देन न करें तथा उक्त संपत्तियों/प्रतिभूत परिसंपत्तियों का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा।

स्थानः कुरुक्षेत्र,	**हस्ता./–प्राधिकृत अधिकारी**
दिनांक : 12–12–2024	**कृते जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड**

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक

(एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक)

पंजीकृत कार्यालय :– द फेयरवे, भू एवं प्रथम तल, सर्वे नं. 10/1, 11/2 एवं 12/2बी, ऑफ डोम्लुर, कोरमंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के समीप, छल्लाघट्टा, बैंगलोर–560071, शाखा कार्यालय : 16/12, द्वितीय तल, डब्ल्यू.ई.ए., आर्य समाज मार्ग, करोल बाग, नई दिल्ली–110005

एलायंस इंटीग्रेटेड मेटलिक्स लिमिटेड

सीआईएनः L65993DL1989PLC035409

पंजीकृत कार्यालयः डीएससी -327, द्वितीय तल, DLF **साउथ कोर्ट, साकेत, नई दिल्ली–110017**

ई–मेलः alliance.intgd@rediffmail.com;

वेबसाइटः www.aiml-in, **दूरभाषः नं.:** 011-41049702

पोस्टल बैलेट की सूचना

एलायंस इंटीग्रेटेड मेटालिक्स लिमिटेड (कंपनी) के सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 108 और धारा 110 के साथ समय–समय पर संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और 22 (''नियम''), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44 (''सूचीबद्धता विनियम''), भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (एसएस–2) द्वारा जारी सामान्य बैठक पर सचिवीय मानक, जैसा कि संशोधित किया गया है और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ('एमसीए') द्वारा सामान्य बैठक आयोजित करने/ई–वोटिंग के माध्यम से डाक मतपत्र प्रक्रिया आयोजित करने के 8 अप्रैल, 2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020, 17/2020 के अनुसार निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार सूचना दी जाती है। दिनांक 13 अप्रैल, 2020 और नवीनतम सामान्य परिपत्र संख्या 9/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए परिपत्र) और किसी भी अन्य लागू कानून, नियमों और विनियमों (किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित, वर्तमान में लागू और समय–समय पर संशोधित) द्वारा जारी किया गया है, कि इस नोटिस में निर्धारित विशेष प्रस्ताव कंपनी के सदस्यों द्वारा केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करके पोस्टल बैलट के जरिए पारित करने के लिए विचार के लिए प्रस्तावित है।

संकल्प संख्या	विवरण
1	श्रीमती मोनिका जैन (डीआईएनः 08706841) की कंपनी के गैर–कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में पांच वर्ष की अवधि के लिए नियुक्ति

एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, कंपनी ने 11 दिसंबर, 2024 को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पोस्टल बैलेट नोटिस भेजने का काम पूरा कर लिया है। यह नोटिस कंपनी के उन सदस्यों को भेजा जाएगा, जिनके नाम कंपनी/डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामियों की सूची में शुक्रवार, 06 दिसंबर, 2024 ('कट–ऑफ तिथि') को कारोबारी समय समाप्त होने के समय दिखाई दिए थे और जिनके ई–मेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत हैं। पोस्टल बैलेट नोटिस कंपनी की वेबसाइट www.aiml-in, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी बीएसई की वेबसाइट www.bseindia.com और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर उपलब्ध है।

जिन सदस्यों के नाम कट–ऑफ तिथि पर सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामियों की सूची में शामिल हैं, वे पोस्टल बैलेट नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों पर मतदान करने के हकदार हैं। सदस्यों के मतदान अधिकारों की गणना कट–ऑफ तिथि पर उनके द्वारा धारित चुकता इक्विटी शेयरों के अनुपात में की जाएगी। जो व्यक्ति कट–ऑफ तिथि पर सदस्य नहीं है, वह पोस्टल बैलेट नोटिस को केवल सूचना के उद्देश्य से ही लेगा।

एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, कंपनी ने अपने सदस्यों को केवल दूरस्थ ई–वोटिंग सुविधा प्रदान की है, ताकि वे भौतिक डाक मतपत्र फॉर्म जमा करने के बजाय इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकें। सदस्यों की सहमति या असहमति का संचार केवल दूरस्थ ए–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से होगा। इस उद्देश्य के लिए, कंपनी ने सदस्यों को केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने में सक्षम बनाने के लिए दूरस्थ ई–वोटिंग की सुविधा के लिए सीडीएसएल के साथ एक समझौता किया है।

रिमोट ई–वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया और निर्देश पोस्टल बैलेट नोटिस में दिए गए हैं। रिमोट ई–वोटिंग शुक्रवार, 13 दिसंबर, 2024 को सुबह 09:00 बजे (आईएसटी) से शुरू होगी और शनिवार, 11 जनवरी, 2025 को शाम 05:00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी। उपरोक्त मतदान अवधि समाप्त होने पर सीडीएसएल द्वारा मतदान के लिए रिमोट ई–वोटिंग सुविधा को अक्षम कर दिया जाएगा। मेसर्स एस खुराना एंड एसोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरीज को डाक मतपत्र के लिए संवीक्षक नियुक्त किया गया है।

डाक मतपत्र का परिणाम मतदान की अंतिम तिथि से दो कार्य दिवसों के भीतर घोषित किया जाएगा और कंपनी के पंजीकृत कार्यालय और कॉर्पोरेट कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर एक साथ प्रदर्शित किया जाएगा। परिणाम कंपनी की वेबसाइट पर भी अपलोड किए जाएंगे और बीएसई को भी सूचित किया जाएगा।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान से संबंधित किसी भी प्रश्नधशिकायत के मामले में, आप श्री राकेश दलवी, सीनियर मैनेजर, (सीडीएसएल), सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरएक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई 400013 से संपर्क कर सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia-com पर ईमेल भेज सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800 22 55 33 पर कॉल कर सकते हैं।

पोस्टल बैलेट नोटिस से संबंधित किसी भी प्रश्न के मामले में या यदि कोई सदस्य जिसका नाम कट–ऑफ तिथि तक सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी मालिकों की सूची में है, उसे पोस्टल बैलेट नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है, तो वह www.aiml.in पर लिख सकता है।

एलायंस इंटीग्रेटेड मेटालिक्स लिमिटेड के लिए

हस्ता/–

दलजीत सिंह चहल

स्थानः नई दिल्ली **अध्यक्ष सह पूर्णकालिक निदेशक**

दिनांकः 11 दिसंबर, 2024 **डीआईएनः 03331560**

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A P